संख्या-287/2017/2132/22-2-2016-17(470)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दूबे निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दूबे, निवासी-ग्राम-टेंगरहिया, थाना-कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.1991 को रात्रि लगभग 03:30 बजे परिवार के 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी भाभी सुमन को, दहेज की मांग पूरी न होने के कारण, जलाकर मार डाला। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-379/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद द्वारा दिनांक 05-12-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया हैं। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोष मुक्त, तथा 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 21-01-2016 तक 17 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 06 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ने बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार दूबे पुत्र श्री राम किशोर दूबे को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरीश कुमार दूबे (बन्दी संख्या-42041) पुत्र श्री राम किशोर दूबे निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-287/2017/2132(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-287/2017/2132/22-2-2016-17(470)/2016

दिनांक 11 अप्रैल, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार दुबे पुत्र श्री राम किशोर दूबे, निवासी-ग्राम-टेंगरहिया, थाना-कोतवाली-अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 11.11.1991 को रात्रि लगभग 03:30 बजे परिवार के 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी भाभी सुमन को, दहेज की मांग पूरी न होने के कारण, जलाकर मार डाला। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-379/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 498ए के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद द्वारा दिनांक 05-12-2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया हैं। बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोष मुक्त, तथा 02 अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 21-01-2016 तक 17 वर्ष 10 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 06 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ने बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीश कुमार दूबे पुत्र श्री राम किशोर दूबे को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in